अन्तर्गत धारा..

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

11-5-23 वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से रिपोर्ट प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 8/5/23 को पेश हो

25-5-23 वकील फरीकेन उपस्थित श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 26-5-23 को पेश हो।

26-5-23 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023, ग्रा.प. RFFA मे पेश हुई। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। लिहाजा वादी का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

(हाशिये पर:) निर्णय जारी स्वीकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 162/2022

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. शिवजीत सिंह पुत्र गुरप्रहलाद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 56 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. कुलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरदीप कौर पत्नी मान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलबीर सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. रणजीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. हरदयाल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. सर्वजीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 03.08.2022

उपस्थितः 1.श्री जसकरण गोदारा, ईकबाल सिंह अधिवक्ता वाद

--निर्णय-- **दिनांकः 26.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 2 एफ एफ ए की जमाबंदी सम्वत 075 ता 2078 के खाता संख्या 60/62 के मुरब्बा नं0 18, 23, 24, 77/30, 77/31, 77/32 की 1 14.164 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि वादी एवम् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व कॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में वादी संख्या 1 शिवजीत सिंह के नाम 1.265 हेक्टैयर ो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी द्वारा उक्त आराजी सन् 2003 को भूपेन्द्र सिंह से जरिये बैयनामा खरीद गई थी। बेचानकर्ता द्वारा जब उक्त आराजी का बेचान किया गया था। तो वादी को मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हेक्टैयर भूमि का बैयनामा करवाया था। खरीद की रोज से वादी उक्त ि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य भी दिनांक 09.12.2003 को घरू टवारा हुआ था हल्फनामा के मुताबिक प्रतिवादीगण के पिता द्वारा एक शपथ पत्र तहरीर किया गया था। समें प्रतिवादीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 हेक्टैयर नहरी भूमि ा काश्त में दी गई थी। वादी मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 हेक्टैयर नहरी मि पर बंटवारा अनुसार काबिज काश्त करता आ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि त मुश्तर्का खाता आराजी को बंटवारा के मुताबिक विधिक बंटवारा करवा ले ताकि भविष्य में श्तकारान को कोई परेशानी उत्पन्न न हो लेकिन प्रतिवादीगण बार-बार टाल मटोल करते हुए और आज करीबन 10 रोज पूर्व विधिक बंटवारा करवाने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वादपत्र यालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि द पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 0/62 के मुरब्बा नं0 18, 23, 24, 77/30, 77/31, 77/32 की कुल 14.164 हैक्टर नहरी मय गैर मकिन खाला भूमि में वादी के नाम मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक ... मि का लगान व खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन न किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय र्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने जवाब पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता के ग निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। हस्तगत प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

तिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायमी की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 2 एफ एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/62 के मुरब्बा नं0 18, 23, 24, 77/30, 77/31, 77/32 की कुल 14.164 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि में वादी संख्या 1 शिवजीत सिंह के नाम 1.265 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 2 एफ एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/62 के मुरब्बा नं0 18, 23, 24, 77/30, 77/31, 77/32 की कुल 14.164 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि में वादी संख्या 1 शिवजीत सिंह के नाम 1.265 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	शिवजीत सिंह पुत्र गुरप्रहलाद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 56 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	2 एफ एफ ए	18	1 ता 5	1.265 हेक्टैयर	नहरी	9.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक .....
श्रीकरणपुर .....

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ..... अभियान-2023 ग्राम पंचायत 2 एफ एफ ए में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर